

ACEM राजस्थान सरकार  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला - अलवर (राज0)

उनवान

रामेश्वर

बनाम

सरकार

किसम मुकदमा..... अन्तर्गत धारा.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>पेश ही। अग्रगण्य जमाना नियम क्रमांक को                      प्रस्तावनी अद्वय अद्वयणी अनुपालना के सहित                      सारित्व कर दी जायेगी।</p>	
<p>17/12/22</p>	<p>आज प्रस्तावनी पेश हुई। कील वाली उपस्थित आयें।                      वास्तु सखी प्रतिवादी गण वकील वाली ने अक्सर धारा                      17 के तहत में कई बार अक्सर, हिदायत के साथ                      अक्सर; न्यायधित में अन्तिम अक्सर, अद्वय अद्वयणी                      अनुपालना की हिदायत किये जाने के उपरान्त वकील                      वाली ने क्रिमांक 28/12/2020 में जारी सखी प्रतिवादी गण                      वास्तु के आदेश की प्रस्ताव आदिनाम तक नहीं की                      है। अतः वकील को बार-बार अक्सर किये जाने                      उपरान्त भी दो वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो                      जाने पर भी सखी वास्तु आदेशों की अवहेलना                      की है। अतः वाली के वाद को अद्वय अद्वयणी                      अनुपालना तथवी आदेश 5 नियम 5 के सहित सारित्व                      किया जाता है। धृकारण की अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर                      पर शेष की जाती है। प्रस्तावनी केसल सुमार लेकर                      नम्बर से कम ही। बाह तकनीय प्रस्ताव जिला लेख भण्डार                      हो। सुनाया गया।</p>	